अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-22/2024- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 Ansari Nagar, New Delhi-110029

दिनांक/Dated

9 AUG ZUZ4

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषयः- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में आहार विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति। Subject:-Promotion to the post of Dietician at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 03.06.2024 को आहार विशेषज्ञ के पद हेत् विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित सहायक आहार विशेषज्ञ को वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल-7 के अन्तर्गत आहार विशेषज्ञ के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है। इनकी पोस्टिंग का स्थान नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। इनकी पदोन्नति एन.सी.आई झझर के निधारित पदं पर हई है, वह इस कार्यालय आदेश की जारी होने की तिथि से एन.सी.आई झझर में 10 दिनों के अंदर पदभार ग्रहण करें, यदि वह र्निधारित समय के अंदर एन. सी. आई., झज्जर में पदभार ग्रहण नहीं करती है, तो माना जाएगा कि वह पदोन्नति को अस्वीकार करती है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Dietician held on 03.06.2024 and its acceptance by the Competent Authority, following Assistant Dietician is promoted to the post of Dietician in Level-7 in the pay matrix from the date she assume the charge of the post of Dietician at her respective place of posting reflected in the table below. The incumbent promoted to the post of Dietician against the post meant for NCI Jhajjar is required to join the post of Dietician at NCI Jhajjar within 10 days from the date of issue of this office order failing which it will be presumed that she has denied her promotion.

Sr. No.	Name	Category	Against Category of post	Present Deptt.	Place of Posting
1.	श्रीमती अंजलि भोला Ms. Anjali Bhola	UR		आहार विभाग (अस्प.)Deptt. of Dietetics (Hospital)	एन.सी.आई झझऱ/ NCI Jhajjar

यदि, वह एन. सी. आई., झज्जर में आहार विशेषज्ञ के पद पर पदभार ग्रहण करने में मना करती है /असफल होती है तो आहार विशेषज्ञ के पद पर उनकी पदोन्नित को रदद/वापस माना जाएगा। डी.ओ.पी.टी. के निदेशानिर्देशों के दवारा यदि कोई उम्मीदवार पदोन्नति के लिए मना करता है तो ऐसे मामलों में अगले एक वर्ष तक निर्धारित अविध या अगली रिक्तियां आनें तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों में से कोई भी बाद में।

In case, promote refuse to join at NCI, Jhajjar on promotion against the post created for NCI, Jhajjar within 10 days from the date of issue of this office order, such act will be considered as refusal of promotion and promotion order in respect of such incumbent would be treated as cancelled/withdrawn. Accordingly as per DOP&T instruction on this subject she will be debarred from promotion for a period of one year or till such time next vacancy arises, whichever is later.

इनकी वरिष्ठता आहार विशेषज्ञ के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात 03.06.2024 से प्रभावी होगी।

Her seniority in the post of Dietician will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 03.06.2024.

आहार विशेषज्ञ का पद ग्रहण करने की तिथि से, वह दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई. झज्जर,बाढसा 4. झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों की हकदार होंगी।

जारी/contd.--

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad/NCI, Jhajjar and Badsa Jhajjar and at any other Centre opened by the Institute in future from the date she assume the charge to the post of Dietician. She can be asked to perform duties in shifts also.

5. उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हें आंशोधित आश्वस्तित वृति प्रगति योजना के अंतर्गत वितीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1), if applicable, either from the date of her actual promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

6. यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलों के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

7. उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

(कमल भट्ट / KAMAL BȟATT) प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

श्रीमती अंजलि भोला, सहायक आहार विशेषज्ञ, आहार विभाग (अस्प.) Ms. Anjali Bhola, Assistant Dietician, Deptt. of Dietetics, (Hospital) द्वारा/Thr.:-प्रभारी अधिकारी, आहार विभाग (अस्प.)

Officer-in Charge, Deptt. of Dietetics, (Hospital)

प्रतिलिपिः

- 1 चिकित्सा अधीक्षक- अस्प./एन.सी.आई. झझऱ/The Medical Supdt.- Hospital/NCI Jhajjar
- 2. मुख्य आहार विशषज्ञ, आहार विभाग (अस्प.)Chief Dietician, Deptt. of Dietetics (Hospital)
- 3 प्रशासनिक अधिकारी अस्प./ एन.सी.आई. झझऱ -Administrative Officer Hospital/NCI Jhajjar
- 4 स्थापना अनुभाग अस्प./ एन.सी.आई. झझऱ. Establishment Section Hospital/NCI Jhajjar
- 5 लेखा विभाग/ Accounts Section, II/III/NCI Jhajjar
- 6 ए.सी.आर सेल/ एस.सी./एस.टी विभाग / सतर्कता विभाग/ई.एच. एस. ACR Cell/ SC/ST Cell/Vigilance Cell/EHS Cell
- 7 प्रो. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें। Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website

1